NATION ::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::				
	0/0 THE COMMI	SSIONER (APPEALS), GST & CI य तल,जी एस दी भवन / 2 nd Floor, GST B कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Re	bhavan, oad,	
		<u>राजकोट / Rajkot – 360 001</u> – 2477952/2441142Email: cexappeal	सत्यमव जय	
<u>रजि</u> र	<u>स्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा</u> :- अपील / फाइलसंख्या/	मूल आदेश सं /	दिनाक/	
क	Appeal /File No.	मूल जादरा स 7 O.I.O. No.	Date	
	V2/47/RAJ/2019	13/D/AC/2018-19	30/11/2018	
ख	अपील आदेश संख्या(Order-In-Ap	ppeal No.):		
	RAJ-	EXCUS-000-APP-012-20	<u>20</u>	
	आदेश का दिनांक / 28.01.2 Date of Order:	2020 जारी करने की तारीख / Date of issue:	28.01.2020	
	श्री गोपी नाथ , आयुक्त (अपील्स	त), राजकोट दवारा पारित/		
	Q	th, Commissioner (Appeals),	,Rajkot	
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :			
घ	अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /N	Name & Address of the Appellants & F	Respondent :-	
	M/s Hitech Industries, Plot No Metoda, Rajkot.). 2613, Survey no. 175/P, khirs	ara, GIDC, Lodhika-Kalawad Road,	
	इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति नि Any person aggrieved by this Orde way.	नेम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधि rr-in-Appeal may file an appeal to the	करण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ appropriate authority in the following	
(A)	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है।/			
(i)	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-			
(i)	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, जई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/			
	The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.			
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपील (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय	i के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उ 1 तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००	उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण १६को की जानी चाहिए ।/	
			llate Tribunal (CESTAT) at, 2 nd Floor, her than as mentioned in para- 1(a)	
(iii)	निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रति ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुप तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपय भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधि शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर)	यों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें सें कम से क नए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 ल वे अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा १ की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी पेत ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निध		
	The appeal to the Appellate Tribu 6 of Central Excise (Appeal) Rule accompanied by a fee dutydemand/interest/penalty/ref form of crossed bank draft in fav place where the bench of any nor situated. Application made for gra	nal shall be filed in guadruplicate in i s, 2001 and shall be accompanied a of Rs. 1.000/- Rs.5000/- und is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac pur of Asst. Registrar of branch of an ninated public sector bank of the pla nt of stay shall be accompanied by a 1	form EA-3 / as prescribed under Rule against one which at least should be RS.10,000/- where amount of and above 50 Lac respectively in the y nominated public sector bank of the ice where the bench of the Tribunal is fee of Rs. 500/	
(B)	अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, ति तहत निर्धारित प्रपत्र S.T5में चार प्रतियों संतग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होन लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रु न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के स्	वेत अधिनियम, 1994की धारा 86(1) के अंतर्गत में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के ी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के 1 कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथव पर्य का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करे पर के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक ट की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपी गथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना ह	त सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में र साथ, जहां सेवाकर की मॉग, ज़्याज की मॉग और n 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना लीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन होगा।/	
for the			994, to the Appellate Tribunal Shall be the Service Tax Rules, 1994, and Shal shall be certified copy) and should be to interest demanded & penalty levice interest demanded & penalty leviced (- where the amount of service tax 8)	

fav of

hied in dual uplicate in Form 3. 13 as presented against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 bakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs, rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-. (i) वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) 🖡 एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके आण्ठ आयुक्त, वेज्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संज्ञण्य करें (उनमें के एक प्रशि प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीर्शय ज्यायाधिकरण पर्वे आधेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 36 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्रधिकरण (शेल्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की विसीय अधिकियम, 1994 की आरा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्कार्रेडा कर सांग के 30 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, वशत कि इस घरर के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवानंद के अंतर्गत "तांन किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
 - धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (i)
 - सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
 - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्मत देय एकन (iii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान धितीय (सं. 2) अधिनियन 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियन 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 53 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include : (i) amount determined under Section 11 D; (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken; (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules - provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the communicement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of Isolia: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका जिम्ललिखित मामलों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इंकाई,दित मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मागे, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, of Floor, Jeovan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकजान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के नामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे नाल के चिनिर्भाण में ज्युक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गया है। In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भुटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outsideIndia export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv) ut and में परित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियस, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के (v)

these to find the vertice of the second and the vertice of the second and the vertice of the ver

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायनी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का क्रुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Ra. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक युत्र आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए वथास्थिति अभीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन (D) किया जाता है | / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is fuiled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुस्चो-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)
- (F)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय ज्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)

2

ORDER-IN-APPEAL

Sappen and

M/s Hitesh Industries, Rajkot [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/47/RAJ/2019 against Order-in-Original No. 13/D/AC/2018-19 dated 30.11.2018 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Asst. Commissioner, Central Goods and Service Tax Division, Rajkot-II [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. V.84(4)-05/MP/D/2017-18 dated 2.5.2017, involving amount of Rs. 13,69,997/- was issued to the appellant under Rule 8 of the Central Excise Rules, 2002. The adjudicating authority confirmed Central Excise duty and imposed penalty. Aggrieved with the impugned order, the appellant has filed the instant appeal.

3. The appellant vide email dated 12.12.2019 informed that they had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and requested to keep their appeal in abeyance. I find that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 19.12.2019 to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

B1112020

(GOPI NATH) Commissioner (Appeals)

<u>Attested</u>

(V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s Hitesh Industries,	सेवा में,
Plot No. 2613, Survey no. 175/P, Khirsara, Lodhika-Kalavad Road, Metoda,	मे॰ हितेश इंडस्ट्रीज़, प्लॉट न॰ 2613, सर्वे न॰ 175/पी, खिरसरा,
Rajkot.	लोधीका-कालावड रोड, मेटोडा, राजकोट।

प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल, राजकोट-II को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गার্ട फ়াइल।